

मजदूर एकता पार्टी

अनुच्छेद (1) पार्टी का नाम:— मजदूर एकता पार्टी

अनुच्छेद (2) पार्टी के उद्देश्य एवं लक्ष्य:—

1. पार्टी की भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा है। पार्टी भारतीय लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद में आस्था एवं विश्वास रखेगी। पार्टी का विश्वास ऐसी राजनितिक व्यवस्था में है जिसमें आर्थिक एवं राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण निश्चित रूप से हो, पार्टी संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को मान्यता प्रदान करती है। शान्तिमय एवं लोकतान्त्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार एवं सत्याग्रह भी इसमें सम्मिलित हैं।
2. पार्टी धर्म निरपेक्ष राज्य की अवधारणा को स्वीकार करती है तथा धर्म पर आधारित राज्य पर आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन का विरोध करती है।
3. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समान अवसर के सिद्धान्त में पार्टी का अटूट विश्वास है किन्तु सामान्य, अल्पसंख्यको, पिछड़ों और महिलाओं के लिए विशेष अवसर के सिद्धान्त को पार्टी मान्यता प्रदान करती है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए उक्त बातें आवश्यक हैं।
4. पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा बनाये रखेगी तथा उनमें सन्निहित समाजवाद, धर्म निरपेक्षता एवं प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध रहेगी।
5. पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ-निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची

श्रद्धा और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगी।

अनुच्छेद(3) सदस्यता:-

(क) 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो दल के संविधान की अनुच्छेद 2 को स्वीकार करता हो 10/- रुपया वार्षिक शुल्क देकर दल का प्रारम्भिक सदस्य बन सकेगा। शर्त यह है कि वह अन्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य न हो। यदि किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य इस पार्टी का सदस्य बनना चाहता है तो उसे ऐसे राजनीतिक दल को उसके द्वारा दिये गये त्यागपत्र/ इस्तीफे की कापी दल के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त ही उसकी सदस्यता पर विचार किया जा सकेगा। दल की सदस्यता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा तथा किसी भी व्यस्क भारतीय नागरिक के लिये सदस्यता खुली रहेगी।

(ख) जो प्रारम्भिक सदस्य कम से कम 25 प्रारम्भिक सदस्यों की भर्ती करे और उनका रु 250/- सदस्यता शुल्क जमा करे, वह दल का सक्रिय सदस्य होगा।

(ग) सदस्यता का कार्यकाल एक वर्ष होगा जो पहली अप्रैल से प्रारम्भ होकर दूसरे वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

(घ) सदस्यता शुल्क विभिन्न इकाइयों में इस प्रकार बाँटा जायेगा।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
राज्य कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
जिला/नगर निगम/	
नगर पालिका कार्यकारिणी	25 प्रतिशत
विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी	25 प्रतिशत

सदस्यता का पूरा शुल्क संबंधित राज्य कार्यालय में जमा किया जायेगा, जहाँ से दल के नये चुनावों के बाद उपरोक्त वर्णित व्यवस्थानुसार वितरित होगा।

क- राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रु 4000/-

ख- राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष 2000/-

ग- राज्य के पदाधिकारी प्रति वर्ष रु 2000/-

घ- राज्य कार्यकारिणी के सदस्य प्रति वर्ष रु 500/-

ङ- जिला कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगर पालिका कार्यकारिणी के पदाधिकारी प्रतिवर्ष रु 500/-

च- जिला कार्यकारिणी, नगर निगम कार्यकारिणी, नगरपालिका, टाउन एरिया, विधान सभा क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य प्रतिवर्ष रु 300/- पार्टी कोष में जमा करेंगे। पार्टी द्वारा निश्चित अवधि के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा न करने वाले सदस्यों/ पदाधिकारियों की कार्य समिति से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अनुच्छेद (4)

क. सदस्यों की सूची:-

1. जिला स्तर पर प्रारम्भिक एवं सक्रिय सदस्यों की सूची जिला अध्यक्ष की देख-रेख में अलग-अलग रजिस्टर में तैयार की जायेगी। जिला अध्यक्ष एवं महासचिव दोनों के हस्ताक्षरों से सक्रिय सदस्यों की सूची राज्य कार्यकारिणी को भेजी जायेगी।
2. सदस्यता सूची में सदस्य का नाम, स्थायी पता, भर्ती की तिथि तथा सदस्यता फार्म का क्रमांक अंकित किया जायेगा।

ख. सदस्यता की समाप्ति एवं निलंबन

1. मृत्यु होने पर, त्यागपत्र देने पर, पार्टी से निष्कासित किये जाने, किसी अन्य राजनैतिक दल से जुड़ने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

2. सदस्यों का निलंबन

किसी भी सदस्य के उपर अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने पर सदस्य को निलंबित किया जा सकता है।

फर्जी सदस्यता की लिखित शिकायत यदि तथ्यों के साथ जिलाध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा जायेगा अथवा प्रदेश अध्यक्ष स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जिस तरह से उचित समझे इसकी जांच करायेगा। यदि जांच से यह सिद्ध हो जाता है कि सदस्य फर्जी है तो सदस्यता करने वाला व्यक्ति किसी भी पद के लिए अयोग्य समझा जायेगा। प्रदेश अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहां की जा सकेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद (5) संगठनात्मक ढाँचा:—

पार्टी के निम्नलिखित अंग होंगे:—

1. राष्ट्रीय संगठन

- (1) राष्ट्रीय सम्मेलन
- (2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी
- (3) केन्द्रीय संसदीय बोर्ड

2. राज्य/प्रान्तीय संगठन

- (1) राज्य सम्मेलन
- (2) राज्य कार्यकारिणी
- (3) राज्य संसदीय बोर्ड

3. जिला स्तरीय संगठन

- (1) जिला सम्मेलन
- (2) जिला कार्यकारिणी

4. नगरीय संगठन

- (1) नगर निगम सम्मेलन एवं नगर निगम कार्यकारिणी
- (2) नगर पालिका सम्मेलन एवं नगर पालिका कार्यकारिणी

5. विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन

- (1) विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन
- (2) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी

- 6. प्रारम्भिक समिति
- 7. संरक्षक समिति
- 8. सहायक संगठन

अनुच्छेद (6) राज्य की इकाइयों का क्षेत्र:—

1. भारतीय संविधान की प्रथम सूची में उल्लिखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरूप दल की राज्य इकाइयों का गठन होगा।
2. राज्य इकाइयों का मुख्यालय सम्बन्धित राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र की राजधानी में होगा।

अनुच्छेद (7) कार्यकाल:—

प्रत्येक सम्मेलन, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति तथा पदाधिकारियों का कार्यकाल अधिक से अधिक 4 वर्ष का होगा।